

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक:- एफ.वी.25(2)स्थापन/स-1/2019-20/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वर्ष 2018-19 तक विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर पदोन्नत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए दिनांक 01.04.2019 की स्थिति अनुसार विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्नानुसार प्रसारित की जाती है :-


क्र. स.	नाम कर्मचारी	जन्म तिथि	वर्ग	अति.प्र.अधि. के पद पर चयन दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री दीपक कुमार आम्बरिया	21.10.1961	GEN	01.04.2017	
2.	श्री रामप्रताप कविया	25.10.1959	GEN	01.04.2017	31.10.2019 को से.नि.
3.	श्री राकेश कुमार गैरा	30.09.1959	GEN	03.11.2017	30.09.2019 को से.नि.
4.	श्री भुवनेश पंत	27.04.1959	GEN	03.11.2017	30.04.2019 को से.नि.
5.	श्री मानाराम मीणा	06.09.1968	ST	03.11.2017	
6.	श्री विजय सिंह परमार	23.05.1959	GEN	03.11.2017	31.05.2019 को से.नि.
7.	श्री सुरेश कुमार पारीक	25.06.1960	GEN	03.11.2017	
8.	श्री प्रेम कुमार व्यास	12.09.1965	GEN	03.11.2017	
9.	श्री केदार लाल मीणा	01.07.1961	ST	01.02.2018	
10.	श्री सुरेश चन्द खटीक	28.01.1971	SC	01.04.2018	
11.	श्री भंवर सिंह मेडतिया	01.07.1967	GEN	01.04.2018	
12.	श्री ओम प्रकाश जोशी	09.10.1966	GEN	01.04.2018	
13.	श्रीमती मधु सनाड्य	03.06.1960	GEN	01.04.2018	
14.	श्री जयपाल शर्मा	26.01.1969	GEN	01.04.2018	
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़	26.06.1968	GEN	01.04.2018	
16.	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	01.11.1961	GEN	01.08.2018	
17.	श्री अचल सिंह करनोत	06.07.1964	GEN	01.09.2018	
18.	श्री चेतन लाल तंवर	01.08.1969	SC	01.03.2019	
19.	श्री विरेन्द्र कुमार	10.09.1965	GEN	01.03.2019	

उक्त वरिष्ठता सूची में किसी कर्मचारी को यदि कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस की अवधि में मय दस्तावेजों के साथ अपने नियन्त्रण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। 15 दिवस की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात होने वाले अभ्यावेदनो पर कोई विचार नहीं किया जाकर अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रसारित कर दी जावेगी।

(डॉ० वीरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.वी.25(2)स्थापन/स-1/2019-20/6822-50 दिनांक : 28/02/2020
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संबंधित अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित अधिकारी।
4. निजी/रक्षित पंजिका।


(डॉ० महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)